मेहताब एस. गिल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह से पहले, जे.जे.

महिपाल,-याचिकाकर्ता
बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. **2007** का **19357**
22 अक्टूबर **2008**

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद। 226—सर्विस बुकके आरोप में छेड़छाड़—जन्मतिथि में अधिक लिखना/काटना—याचिकाकर्ता ने आयु प्राप्त करने की तारीख के बाद भी सेवा जारी रखी सेवानिवृत्ति-उक्त अवधि के लाभ का हकदार नहीं पेंशन लाभ और वेतन-याचिकाकर्ता वेतन प्राप्त कर रहा है सेवा की उक्त अवधि को उस अवधि के बाद भी जारी रखना सेवानिवृत्ति-याचिकाकर्ता एक अनपढ़ व्यक्ति को मुआवजा दिया जा सकता है उक्त अवधि के लिए न्यूनतम वेतनमान-अतिरिक्त भुगतान प्रदान करके, यदि कोई हो, तो उक्त अवधि के लिए अपराधी से की गई कोई भी राशि वसूल करने का आदेश दिया गया है सेवानिवृत्ति लाभों से उसे सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि से प्रभाव।

निर्धारित किया गया है।कि रिकॉर्ड से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता को 30 जून, 1999 को सेवानिवृत्त होना था और इसलिए, उक्त तिथि के बाद सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता था; हालाँकि, वह 31 मार्च, 2003 तक सेवा में बने रहे और वास्तव में, 1 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2003 तक चौकीदार के रूप में कर्तव्यों का पालन किया। चूँकि वह 30 जून, 1999 से आगे सेवा में बने नहीं रह सकते थे। जिस तारीख को वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेता है, उसे उसके पेंशन लाभों के लिए उक्त अवधि का लाभ नहीं दिया जा सकता है, न ही उसे उस वेतन का हकदार माना जा सकता है जो उसने अन्यथा सेवा की उक्त अवधि को जारी रखने पर प्राप्त किया है। सेवानिवृत्ति हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता एक अनपढ़ व्यक्ति है और उसने चौकीदार के रूप में काम किया है, इसलिए उसे 1 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2003 तक उसके द्वारा किए गए कर्तव्यों के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। इस प्रकार, यह न्याय के हित में होगा कि उसे मुआवजा दिया जाए। उक्त अवधि के लिए न्यूनतम वेतनमान और उक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ता को किया गया अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो।

(सर्वोत्तम 5 एवं 6)

1 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2003 तक उन्हें दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों की वसूली की जाए। याचिकाकर्ता को 30 जून, 1999 से सेवा से सेवानिवृत्त मानते हुए याचिकाकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, को काटने के बाद उसे सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता के वकील डी.एस. नैन
हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

ऑगस्टीन जॉर्ज स्टिल, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने कार्यकारी अभियंता, पुंडरी जल सेवा प्रभाग, कैथल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2007 (अनुलग्नक पी-3) को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिसके तहत रिहाई का उसका दावा है। सेवानिवृत्ति लाभों को अस्वीकार कर दिया गया है और मंदा-मुस की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए उत्तरदाताओं को सेवानिवृत्ति की तारीख से सेवानिवृत्ति लाभों को बकाया और ब्याज के साथ जारी करने का निर्देश दिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे वर्ष 1977 में दैनिक वेतन के आधार पर सिंचाई विभाग में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका तर्क है कि वह अनपढ़ है और नौकरी करता रहा।

उनकी जन्मतिथि 20 जून 1939 के स्थान पर 20 जून 1949 काट दी गई है, जो उनकी सेवा पुस्तिका से स्पष्ट रूप से पता चलता है, जो अभिलेखों से छेड़छाड़ के समान है। चूंकि जन्मतिथि में कटौती के संबंध में उक्त प्रविष्टि केवल याचिकाकर्ता के लाभ के लिए थी और किसी और के लिए नहीं, इसलिए उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। याचिकाकर्ता को तदनुसार 31 मार्च, 2003 से सेवा से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसे उसकी वास्तविक जन्मतिथि यानी 20 जून, 1939 के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30 जून, 1999 से मुक्त माना गया था। 20 जनवरी को आदेश पारित करते हुए. 2006 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में, कार्यकारी अभियंता, पूंडरी जल सेवा प्रभाग, कैथल ने एक आदेश पारित किया जिसमें 1 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के लिए वेतन को सेवानिवृत्ति लाभों से काटने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर कहा कि उसे वास्तव में 30 जून, 1999 को सेवानिवृत्त होना था और इसलिए, वह उक्त तिथि से आगे सेवा में जारी नहीं रह सकता था क्योंकि उसने उक्त तिथि को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी। चूँकि याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने का हकदार नहीं था, इसलिए सेवानिवृत्ति की उक्त तिथि के बाद भुगतान किया गया वेतन उससे वसूल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अब इस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 4 ने अपने सेवानिवृत्ति लाभों से वेतन की वसूली का आदेश दिया है। 31 मार्च, 2003 तक सेवा। उन्होंने इसे पहली बार प्रस्तुत किया है।--

पत्र संख्या 533-35/6ई, दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा, याचिकाकर्ता था
बताया कि उनकी जन्मतिथि में ओवरराइटिंग/काट-छांट की गई है
सेवा पुस्तिका में दर्ज उसकी जन्मतिथि बदल दी गई है 20 जून, 1939 से 20 जून, 1949. उक्त पत्र के उत्तर में, याचिकाकर्ता ने जवाब पेश किया, जिसके बाद विभागीय जांच की गई उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई जिसमें यह माना गया कि ओवरराइटिंग हुई है

(3) नोटिस जारी होने पर, उत्तरदाताओं ने उपस्थित होकर 21 जनवरी, 2006 के आदेश का बचाव किया है (अनुलग्नक पी-3)। हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं किया गया है।

(4) हमने पक्षों के वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। यह सही है कि विभागीय जांच में यह निष्कर्ष निकला है कि

याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 20 जून 1939 के स्थान पर 20 जून 1949 लिखी गई है, जिससे पता चलता है कि उसकी सेवा पुस्तिका

याचिकाकर्ता के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह भी सत्य है कि यह प्रविष्टि होगी

महिपाल बनाम हरियाणा राज्यऔर अन्य (ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.)
585

केवल याचिकाकर्ता को लाभ पहुँचाया है और किसी को नहीं। उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर के साथ संलग्न की गई सर्वी बुक की फोटोकॉपी से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने उन सभी स्थानों पर जहां कर्मचारी के हस्ताक्षर संलग्न किए जाने थे, अपने अंगूठे का निशान लगाया, जिससे पता चलता है कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है। हालांकि, यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है कि छेड़छाड़ याचिकाकर्ता ने खुद की थी या उसने किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से कराई थी। हालाँकि यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास सेवा रिकॉर्ड नहीं था, जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, लेकिन उसे जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता है।

(5) रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 30 जून, 1999 को सेवानिवृत्त होना था और इसलिए, उक्त तिथि के बाद सेवा में जारी नहीं रह सकता था, हालांकि, वह 31 मार्च, 2003 तक सेवा में बना रहा और, वास्तव में, 1 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2003 तक चौकीदार के रूप में कर्तव्यों का पालन किया। चूँकि वह 30 जून, 1999 से आगे सेवा में बने नहीं रह सकते थे, जिस तारीख को उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की, इसलिए उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जा सकता है। न ही उसे उस वेतन का हकदार माना जा सकता है जो उसने अन्यथा सेवानिवृत्ति की अवधि के बाद सेवा की उक्त अवधि को जारी रखने पर प्राप्त किया है।
(6) हालाँकि, चूंकि याचिकाकर्ता एक अनपढ़ व्यक्ति है और उसने चौकीदार के रूप में काम किया है, हमारा विचार है कि 1 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2003 तक उसके द्वारा किए गए कर्तव्यों के लिए उसे मुआवजा दिया जा सकता है। इस प्रकार, यह होगा न्याय के हित में यह होगा कि उसे उक्त अवधि के लिए न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और उक्त अवधि यानी 1 जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2003 के लिए याचिकाकर्ता को किया गया अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, उससे वसूल किया जाए। उसे दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ। याचिकाकर्ता को 30 जून, 1999 से सेवा से सेवानिवृत्त मानते हुए याचिकाकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, की कटौती के बाद उसे सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाएंगे। इसे तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि.

(7) यह याचिका तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

आर.एन.आर.

अवीकरण :
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमितउपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।